

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

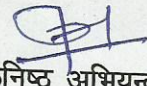
जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणार्ई-मोल्टा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणार्ई-मोल्टा तक मोटर मार्ग एवं किमी० 5 पर दो (40मी० तथा 30मी०) एवं किमी० 8 दो (25मी० तथा 20मी०) मोटर मार्ग निर्माण हेतु राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 3431/III-2/06-56 (प्रा०आ०)/2006 दि० 22.12.2006 द्वारा 10.00 किमी० लम्बाई हेतु रु० 493.35 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के दृष्टिगत भू-वैज्ञानिक द्वारा वर्तमान में मार्ग 5.00 किमी० लम्बाई में ही मार्ग निर्माण का सुझाव दिया गया है। जिसके विरुद्ध मात्र 1.810 हे० वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड जोशीमठ में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम गणाई, मोल्टा हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

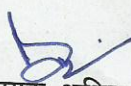
उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं० 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं० 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच०पी० बैण्डों की संख्या (16) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होगा। अतः प्रस्तावित संरेखण नं० 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 1.810 हे० में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 7.00 मी० चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 5.00 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग एवं एवं किमी० 5 पर दो (40मी० तथा 30मी०) सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे० सिविल वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठा अभियन्ता

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर